UPGK010019452026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–863/2026

सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र अरुण प्रसाद गुप्ता, उम्र 22 वर्ष
निवासी–85E रामजानकी नगर, थाना–शाहपुर, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं0–89/2026
धारा–319(2),318(4),338,336(3),340(2) भा0 न्याय सं0 व 7, 13(3) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश–2024
थाना–पिपराईच , जनपद–गोरखपुर।

आदेश

जमानत का यह प्रार्थना पत्र, आवेदक/अभियुक्त सौरभ कुमार गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध सं0–89/2026, धारा–319(2),318(4),338,336(3),340(2) भा0 न्याय सं0 व 7, 13(3) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश–2024, थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य संदिप कुमार विद्यालय कोड–1113 के द्वारा थानाध्यक्ष, पिपराईच, गोरखपुर को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र के माध्यम से थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर में दिनांक 23.02.2026 को इस आशय की प्राथिमकी दर्ज करायी गयी कि आज दिनांक–23/02/2026 को प्रातः पाली हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी विषय की परीक्षा हमारे परीक्षा केन्द्र पर चल रही थी। इस परीक्षा में चार ऐसे परीक्षार्थी पकड़े गये है जो दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इन परीक्षार्थियों के आधार कार्ड कूटरचित है तथा ये सभी छात्र श्री वीरेन्द्र कुमार इण्टर कालेज जंगल धूषड़ गोरखपुर के संस्थागत छात्र है। इन छात्रों द्वारा बताया गया कि एम०एस०आर० पब्लिक स्कूल पादरी बाजार, गोरखपुर के अध्यापक कन्हैया सिंह द्वारा कूट रचित आधार कार्ड देकर इन्हे दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा हेतु भेजा गया है। अतः आप से निवेदन है कि आप उक्त छात्रों को परीक्षा की सूचिता प्रभावित करने, कूटरचित सरकारी अभिलेख के आधार पर परीक्षा देने, उत्तर प्रदेश नकल अधिनियम–2024 आदि की सुसंगत धाराओ में प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें। इन परीक्षार्थियों के विवरण निम्न है–क्र.सं. वास्तविक विद्यार्थी रोल नम्बर परीक्षा दे रहा व्यक्ति 1–नीरज कन्नौजिया पुत्र

वीरेन्द्र प्रसाद 1262589925, सूरज कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार, 2 शनि कुमार पुत्र कोईल चौहान 1262589950 अभिषेक चौहान पुत्र ववल चौहान, 3 बिट्टू मद्धेशिया पुत्र पन्नेलाल मद्धेशिया 1262589916 सौरभ कुमार पुत्र अरूण, 4 विनय कुमार चौहान पुत्र राम शरण चौहान 1262589965 करन सोनकर पुत्र अविनाश सोनकर।

3. आवेदक/अभियुक्त के आविद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है, वादी पक्ष ने मात्र प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की गरज से अभियुक्त के रूप में नामजद किया है। प्रार्थी के उपर लगाये गये आरोप पूर्णतया गलत एवं सरासर झूठा है। तथाकथित घटना पूर्णतया फर्जी एवं झूठी है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई छल के प्रयोजन से धोखा देकर प्रतिरूपण व कोई कूटरचित सरकारी अभिलेख अपने हस्तलेख में तैयार नहीं किया है, न ही उसका उपयोग ही किया गया है, न ही परीक्षा की सूचिता को प्रभावित करने वाला दस्तावेज ही तैयार किया है और न ही कोई आरोप रोपक कार्य ही किया है। प्रार्थी को स्थानीय थाने की पुलिस घर से पूछ–ताछ के लिए बुलाई थी तथा फर्जी रूप से चालान कर दिया। प्रार्थी पढ़ने वाला छात्र है तथा बी०टेक० में प्रवेश हेतु परीक्षा की तैयारी करता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तथाकथित घटना की सूचना विश्वसनीय नहीं है तथा काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। कथित घटना से प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी के जेल में रहने से प्रार्थी की अपूर्णनीय क्षति होगी तथा प्रार्थी का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। प्रार्थी की जमानत दरखास्त माननीय सी०जे०एम० महोदय गोरखपुर द्वारा दिनांक–25.02.2026 को सरसरी तौर पर खारिज कर दी गयी है। प्रार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नही है। उपरोक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कूट रचित आधार कार्ड देकर दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दी गयी है। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. यद्यपि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। वर्तमान मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कूट रचित आधार कार्ड देकर दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने का अभियोग है। मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि दौरान विवेचना विवेचक ने केस डायरी में वादी मुकदमा का बयान अंकित किया है तथा विवेचक के समक्ष दिये गये बयान में वादी ने कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के बिन्दु पर विस्तृत कथन किये हैं। मामले में कोई साक्ष्य संकलन किया जाना शेष नहीं है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त को जिला कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त सौरभ कुमार गुप्ता द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विचारण में सहयोग करेगा,

2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।

3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,

4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा एवं अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांकः 11.03.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 15:36:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court